बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। **संकल्प** ।।

पटना–15 दिनांक :.....

श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–266/19, तत्कालीन आप्त सचिव, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–101 दिनांक–30.11.2021 द्वारा आय से अधिक अवैध रूप से धनार्जन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14311 दिनांक–01.12.2021 द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में इस विभाग के स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–3531 दिनांक–08.03.2022 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–10820 दिनांक–30.06.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

कालांतर में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापाक–727 दिनांक–11.01.2024 द्वारा श्री कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबनमुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि की सेवा के निरूपण के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने की बात उक्त संकल्प में अंकित की गई।

पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–608 दिनांक–16.05.2025 द्वारा सूचित किया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति के मामले में दर्ज विशेष निगरानी इकाई, थाना काण्ड संख्या–04/21 में अनुसंधानोपरांत सक्षम प्राधिकार की अनुमति से दिनांक–09.12.2024 को अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, पटना में समर्पित किया गया है।

जांच आयुक्त कार्यालय के ज्ञापांक–224 दिनांक–15.09.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

जांच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में विशेष निगरानी इकाई द्वारा माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, पटना में समर्पित अंतिम प्रतिवेदन के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक–18330 दिनांक–24.09.2025 द्वारा विशेष निगरानी इकाई, पटना से किया गया।

विशेष निगरानी इकाई पटना के पत्रांक–1777 दिनांक–16.10.2025 द्वारा उक्त थाना कांड में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–03.03.2025 को पारित आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसका कार्यान्वयक अंश निम्नवत् है :–

"Final report was submitted before this court on 09.12.2024. There is absolutely no material available on the case record against the accused persons for proceeding further with this case. The final form also shows that the after investigation the I.O has found D.A to the extent of 7.74% against the accused persons.

Accordingly, the final report submitted by the Investigating Officer is hereby accepted and this case record stands disposal off."

इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है तथा

समान आरोप के लिये इनके विरूद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमें में मा० विशेष निगरानी न्यायालय, पटना द्वारा विशेष निगरानी इकाई द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव को स्वीकार करते हुए मामले को निष्पादित किया गया।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत मामले में निर्णय हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–19078 दिनांक–28.11.2024 के आलोक में प्रस्तुत मामले में निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष दिनांक–10.12.2025 को अपराह्न 04.00 बजे रखा गया।

उक्त बैठक में समिति द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने एवं इनकी निलंबन अवधि (दिनांक–01.12.2021 से दिनांक–11.01.2024) को सभी प्रयोजनों के लिए विनियमित करते हुए पूर्ण वेतनादि (जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि) का भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गयी। समिति की उक्त अनुशंसा पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः उक्त निर्णयानुसार श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–266/19, तत्कालीन आप्त सचिव, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इनकी निलंबन अवधि (दिनांक–01.12.2021 से दिनांक–11.01.2024) को सभी प्रयोजनों के लिए विनियमित किया जाता है। उक्त निलंबन अवधि के लिए इन्हें पूर्ण वेतनादि (जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि) का भुगतान किया जायेगा। यह निर्णय श्री मृत्युंजय कुमार के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

स्पीड–पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक–27/आरोप–01–93/2021, सा०प्र० 216 **/पटना, दिनांक** 02.01.2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सहरसा/श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–266/19, तत्कालीन आप्त सचिव, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण)–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं चारित्री कोषांग/आई.टी. मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/1/26

सरकार के अपर सचिव।